



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 281 राँची, गुरुवार,

18 मई, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

11 मई, 2023

संख्या-9/चि०महा०-7-21/2012-- 249(9)--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2018 - यथा संशोधित झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2020 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ -

(i) यह नियमावली झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. यथा संशोधित झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2020 के नियम-2 में संशोधन :-

यथा संशोधित झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2020 के नियम-2 में अंकित समेकित रूप से 75,000/- प्रतिमाह के स्थान पर निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा -

ट्यूटर/वरीय रेजिडेंट	मानदेय (प्रतिमाह)
प्रथम वर्ष	80,000
द्वितीयवर्ष	82,500
तृतीय वर्ष	85,000

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।
